

3
15/5/98

R-5/1

15.5.98

Recd-139

8006

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

Reg. No. ...
File No. ... 2529

सेवा में,

Serial No. ...
21-5-98

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

59
25-5-98

पत्र संख्या... 586/XV दिनांक गोरखपुर / मई 04, 1998

विषय: श्री अशोक कुमार यादव, अपर सिविल जज & जू० डि०, बोंसगाव, जनपद - गोरखपुर द्वारा अपने निजी वाहन का उपयोग करना तथा शासकीय वाहन सुविधा से वंचित रहने के सम्बन्ध में।

-00-0

महोदय,

उपरोक्त अधिकारी ने एक प्रमाण -पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उन्हें शासकीय वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है और वह अपने निजी वाहन स्कूटर संख्या- यू० पी०- 617136 का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें वाहन की सुविधा उपलब्ध न होने पर भी वाहन भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है।

①

SOAd(A-1/H)

M/S

D.R.(m)
15/5/98

इस न्यायिक प्रतिष्ठान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र 6 वाहन उपलब्ध कराया गया है। बाह्य न्यायालय सिविल जज & जू० डि०, बोंसगाव हेतु कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण -पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकन हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

①

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय

[Signature]
आर.पी. त्रिपाठी &
कृत जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

DR(m)

[Signature]
14/5

पृष्ठांक संख्या: तद् दिनांकित

प्रतिलिपि सेवामें संयुक्त निदेशक कोणागार, कैम्प कार्यालय प्रथम तल्ला, नई कोणागार क्वार्टर, कचहरी रोड इलाहाबाद को प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृत-जनपद न्यायाधीश

DR SIKT
Re
24/5

Req-139

प्रमाण-पत्र
* * * * *

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती का नाम
श्री/श्रीमती का नाम पुत्र/पुत्री के पिता/पिताजी, पति/पतिजी,
पूरख-या/पूरख-पतिजी में जन्मा/जन्म 3 जनवरी 1997 ई.
में कार्यरत हूँ तथा न्यायालय का मेरे डेटु में लगे निजी जमान
शुद्ध संख्या 4P-61/7136 का उद्योग करता हूँ, जो
जातीयता का प्रमाणित उद्योग है।

प्रमाणित करता हूँ,

[Signature]

जनपद/जिला का नाम
श्री/श्रीमती का नाम
दिनांक 15/7/98

साक्षर:

Ashok Kumar Yadav
20/4/98

श्री/श्रीमती का नाम पुत्र/पुत्री के पिता/पिताजी
श्री/श्रीमती का नाम, पति/पतिजी

Counter signed

X *[Signature]* 15/7/98

JUDGE
HIGH COURT
ALLAHABAD.